524-निश्रा
19-8-10

संख्याः 1134/सत्रह-म0-10-II-1171/2007

प्रेषक,

पी0के0 अग्रवाल
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 13 अगस्त, 2010

विषयः- वित्तीय वर्ष 2010-11 में कैट फिश पालन योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 264/नि0शा0 दिनांक 15 अप्रैल 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय कैट फिश पालन योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में देशी मांगुर मछली के पालन हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्राविधानित धनराशि रूपया 5.00 लाख में से 50 प्रतिशत की धनराशि रूपया 2,50,000/= (रूपये दो लाख पच्चास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृति धनराशि लाभार्थियों के चयन के मानदण्डों/दिशा निर्देशों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत करने के उपरान्त ही आहरित कर व्यय की जायेगी। व्यय उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2- योजनान्तर्गत योजना की प्रगति और निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र द्वितीय किस्त जारी किये जाने से पूर्व शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में न तो अधिक धनराशि व्यय की जायेगी और न ही किसी प्रकार का आश्वासन दिया जायेगा। जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर निदेशक/प्रबन्ध निदेशक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

4- प्रदेश में देशी मांगुर मछली की हैचरी न होने के कारण देशी मांगुर मछली का मत्स्य बीज 25 एम. एम. से 30 एम. एम. साइज का बरयेटा (असम) अथवा आई0सी0एआर0 के संस्थानों से क्रय करके मगाया जायेगा, जिसके लिये

...2...

(5)
संख्यांकित रु. आहरण अनिवार्य करा का योजनान्तर्गत 34 लक्ष्य अर्जित

18-8-10
(अशोक दीक्षित)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0

18/8/10
D.D.P./नि.शा.

(एस0 के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक, मत्स्य

श्री आदेश
19-08-10

चयनित जनपद स्तर पर चयनित लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिये उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम का दायित्व होगा।

5- उपरोक्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन आयोजनागत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 04-मत्स्य विकास कार्यक्रम, 0405-कैट फिश पालन 27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-2/539/x-10 दिनांक 09-08-2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0के0 अग्रवाल)
विशेष सचिव ।

संख्या: 1134(1)/सत्रह-म0-2010 तद्दिनांक ।

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय, लखनऊ ।
3- कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/ नियोजन अनुभाग-3
5- गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी ।
6- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ । आज्ञा से,

(पी0के0 अग्रवाल)
विशेष सचिव ।